

संयुक्त जांच रिपोर्ट (Site Feasibility Report)

दिनांक को..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन जो कि स्टेशनो के मध्य टी.पी. पर निकालने के लिये मौके का निरीक्षण किया गया तथ्य निम्न प्रकार है

1. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन खण्ड पर टीपी नं के मध्य प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन लाइन रेलवे स्टेशन से किमी व रेलवे स्टेशन से किमी पर है।
3. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन टीपी नं से.....मीटर व टीपी नं से..... मीटर पर है।
4. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन रे लवे ट्रैक से क्रमशः मीटर व मीटर दूरी पर है। दोनो टावरों के मध्य स्पान मीटर हैं। टावर रेलवे बाउन्डरी मे नही है व टावर लगाने का स्थान समतल है।
5. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइन मे टावरों की ऊचाईमीटर है। टावर की प्रत्येक टांग(लैग) पाईप अर्थिंग द्वारा जुडी होना प्रस्तावित है .
6. प्रस्तावित के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड लाइन मे.....तार लगाया जावेगा जो रेलवे ट्रैक से.....मीटर ऊँचाई पर होगा जो कि नक्शे के अनुसार प्रस्तावित है कार्य के लिये जगह उपयुक्त है।

सी. सेक्शन अभियन्ता
(विद्युत)

सी. सेक्शन अभियन्ता
(पी.वे)

सहायक इंजीनियर
(बिजली बोर्ड)

अनुपालना प्रमाण पत्र

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है किरेल के..... मण्डल के खण्ड में किलोमीटर पर ऊपरी विद्युत लाइन/भूमिगत केबिल क्रॉसिंग सं विद्युत अधिनियम 2003 तथा भारतीय रेल अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन बनाए गए और समयसमय पर यथासंशोधित नियमों और रेल पथ विद्युत लाइन क्रॉसिंग विनियम, 1987 के अनुपालन में सन्निर्मित की गयी है। क्रॉसिंगरेल और रेल के विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित रेखाचित्रों के अनुसार भी सन्निर्मित की गयी है इन रेखाचित्रों का हवाला नीचे दिया गया है :-निर्देश

क्र.सं.	रेखाचित्र सं.	रेखाचित्र का शीर्षक	क्रॉसिंग का स्थान	जिसके अधीन रेखाचित्रों का अनुमोदन किया गया	अनुमोदन करनेवाला अधिकारी
---------	---------------	---------------------	-------------------	--	--------------------------

- 1.
- 2.
- 3.

2* इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि रेलपथ विद्युत क्रॉसिंग विनियम 1987 के खण्ड 21.4के अनुसार विशेषरूप से चालू की गयी विद्युत लाइन क्रॉसिंग का आशोधन स्वामी द्वारा, अनुमोदित अभिकल्प पर जब कभी रेलवे के खण्ड पर बिजली कर्षण चालू किए जाने के कारण ऐसे क्रॉसिंगों का आशोधन करना अपेक्षित हो, किया जायेगा ।

सम्पूर्ण विद्युत लाइन क्रॉसिंग के आठ रेखाचित्रों सहित पुनरुत्पादन प्रिंट की प्रति सलंगन है ।

(स्वामी की मुद्रा)

हस्ताक्षर
(स्वामी का नाम)

तारीख:

स्थान:

* जो लागू न हो काट दें।

ऊपरी लाइन क्राग अथवा भूमिगत केबिल का स्थान उन कर्षण मास्टों / संरचनाओं और/या तार के खम्भों जिनके बीच ऊपरी लाइन या भूमिगत केबिल क्रॉसिंग स्थित है, पर पेंट की गयी किलोमीटर दूरी से पहचाना जाएगा ।

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

It is hereby certified that the Electrical overhead line / underground cable crossing No.at Km.....on the sectionof the Division of theRailway has been constructed in compliance with The Electricity Act, 2003 and Indian Railways Act, 1989, and the rules made there under and as amended from time to time and the Regulations for power line crossings of Railway Tracks, 1987. The crossing has also been constructed in accordance with the drawings approved by theRailway and the Electrical Inspector of theRailway, the reference of which are given below :

SN.	Drawing No.	Title of Drawing	Location of Crossing \$	Reference under which drawing is Approved	Approving authority
-----	-------------	------------------	----------------------------	---	---------------------

- 1.
- 2.
- 3.

2.* If is also hereby certified that the overhead line crossing specially released as per clause 22.4 of the Regulations for power line crossing of Railway Tracks, 1987 would be modified by the owner, on an approved design whenever Railway will require to modify such crossing due to introduction of electric traction on the section of the Railway.

Along with a reproducible print eight copies of the drawings showing the completed power line crossing is / are enclosed.

(seal of the owner)

Signature
(Name of the owner)

Date

Place

* Strike off, if not applicable.

\$ The location of the overhead line crossing or underground cable will be identified by indicating the kilometrage with the painted number of the traction masts/structures and/or telegraph posts, as available, between which the overhead line or underground cable crossing is located.

अन्तिम संयुक्त निरीक्षण करने हेतु प्रोफार्मा (Final Joint Inspection Report)

विद्युत लाइन को रेलवे ट्रैक से पार करने हेतु किये जाने के लिए अन्तिम संयुक्त निरीक्षण करने व रिपोर्ट भेजने हेतु मुख्य बिन्दू :-

.....के.वी. सिंगल/डबल सर्किट ओवर हैड / भूमिगत लाइनखण्ड पर टीपी नंके मध्य है का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक को किया गया जो निम्न प्रकार है :-

1. लोएस्ट कंडक्टर की ऊचाई (यदि गार्ड वायर हो तो उससे , अन्यथा ट्रे क से कंडक्टर की ऊचाई) अधिकतम झोल (Maximum sag) को निकालने के बाद
2. दोनो टावर / पोल पर दो अर्थ लगा है या नही तथा अर्थ रजिअटेंस की वैल्यू कितनी है
1..... 2..... 3..... 4.....
3. पोल पर स्टेवायर तथा वायर में स्टे इन्सूलेटर लगे है या नही।
4. कौशन बोर्ड , एंटीक्लाइबिंग डिवाइस लगे है या नही।
5. यदि क्रॉसिंग केबल से पार की है, तो केबल मार्कर, केबल की फॉर्मेशन लेवल से गहराई की नाप तथा केबल क्रॉसिंग के लिए प्रयोग मे लिया गया पाइप।
.....
6. क्रॉसिंग नक्शों में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर है या नही।
7. दोनों तरफ के पोल व ट्रैक के मध्यभाग से की अलग-अलग दूरी व मीटर है ।
8. रेलवे द्वारा जारी किया गया लाईन ब्लॉक दिनांक व समय से..... तक कार्य पूर्ण किया।
9. क्रोसिंग पोल का कोण, क्रोसिंग स्पान व नोरमल स्पान
10. दोनों तरफ के क्रोसिंग टावर / पोल की भू-तल से अलग-अलग ऊचाई व..... मीटर है ।
11. रेलवे नियमानुसार उक्त रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग पूर्ण सुरक्षित है व लाईन चालू करने के लिये कोई आपत्ती नहीं है ।

सी. सेक्शन अभियन्ता
(विद्युत)

सी. सेक्शन अभियन्ता
(पी.वे)

सहायक इंजीनियर
(बिजली बोर्ड)